

(एफ) के संयुक्त निदेशक

**निदेशक, अर्थ एवं संख्या की अध्यक्षता में SSS योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित PMG की प्रथम बैठक दिनांक 19-11-2015 का कार्यवृत्त।**

दिनांक 19-11-2015 को SSS योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित PMG की प्रथम बैठक में संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक के प्रारम्भ में संयुक्त निदेशक, श्री पाण्डेय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्धारित MOU प्रमुख सचिव, नियोजन, उ०प्र० शासन एवं उप महा निदेशक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरोपरान्त सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को पत्रांक 443/एस०एस०एस०पी०-40/2015 दिनांक 04-11-15 द्वारा भेजा गया है तथा तत्सम्बन्धी गतिविधियों से प्रभाग के पत्रांक 445/एस०एस०एस०पी०-40/2015 दिनांक 09-11-15 द्वारा नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को अवगत कराते हुए समस्त सम्बन्धित अभिलेखों की फोटोप्रति का प्रेषण किया जा चुका है।

तदोपरान्त SSS योजना के सफलतापूर्वक निष्पादन व कार्यान्वयन हेतु बैठक में बिन्दुवार किये गये विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. SSS योजना के अन्तर्गत प्रभाग स्तर पर PIU (Programme Implementation Unit) का गठन किया जाय। इस यूनिट में संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/अर्थ एवं संख्याधिकारी के अतिरिक्त 2 अपर सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी होंगे। इस हेतु 2 उपयुक्त अपर सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी एवं एक चपरासी की तैनाती स्थापना अनुभाग द्वारा की जायेगी तथा यूनिट हेतु एक consultant एवं 2 कम्प्यूटर आपरेटर की outsourcing के माध्यम से तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में PIU/स्थापना/लेखा अनुभाग के समन्वय से आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु यथा आवश्यक consultant/computer operator की outsourcing हेतु भी प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाये।
2. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का सम्पादन निम्नानुसार प्रभाग के निर्दिष्ट अनुभागों द्वारा किया जाएगा परन्तु सम्बन्धित अनुभाग सम्बन्धित कार्य के संचालन के सम्बन्ध में अपनी प्रक्रिया के निर्धारण इत्यादि को PIU की सहमति से तैयार किये जाने के उपरान्त इसका अनुमोदन PMG से अवश्य प्राप्त करेंगे तथा सम्बन्धित कार्य के सम्पादन के लिये मात्राकृत धनराशि में से जनपद/क्षेत्रीय स्तर पर धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव PIU के माध्यम से लेखा अनुभाग को प्रस्तुत करेंगे। इस निर्धारण में अपरिहार्य होने पर PMG द्वारा भविष्य में भी यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। सम्बन्धित अनुभागों से यह भी अपेक्षित है कि निर्दिष्ट कार्यों के सम्पादन के लिये आवश्यकतानुरूप त्रिसदस्यीय तकनीकी समिति प्रभाग स्तर पर गठित करते हुए तदनुसार सम्बन्धित कार्य को तकनीकी गुणवत्ता के साथ सम्पादन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे :-

Sl.no.	Sl. No. of the Activity in MOU	Description of Activity	Name of Section responsible for Execution of Activity
1	1	<i>Information Technology</i>	
	1(a)	Purchase of Laptops / Desktops for DES Hq & its field offices	Accounts / SDT
	1(b)	Broadband connection for Divisional offices of DES	Accounts

	1(c)	LCD projectors for divisional offices	Accounts / SDT
	1(d)	Development of State Statistical Portal	SDT/EDP
	1(e)	Networking and broadband connectivity for statistical units of departments	PIU/Accounts
	1(f)	Development of software for offline data entry	SDT/EDP
2	2	<i>Physical Infrastructure</i>	
	2(a)	Furnishing & Refurbishing of DES Hq. Building	PIU/Accounts
	2(b)	Construction of DES Divisional Office buildings and its furnishing	PIU/Accounts
	3	<i>Other associated costs</i>	
	3(a)	Hardware and software up gradation of Server at DES HQ and its annual maintenance	Accounts / SDT
	3(b)	Renewal of licences of antivirus software for existing 250 computers	Accounts / SDT
	3(c)	Hardware/software up gradation of existing computers DES HQ. and in field offices of DES	Accounts / SDT
4	4	<i>Implementation of recommendations of Technical Groups/bodies for filling up existing and emerging data gaps</i>	
	4(a)(i)	Constitution of Technical Group	PIU
	4(a)(ii)	Conduct of Workshops/Meetings of Technical Groups/Bodies	Coordination/PIU
	4(b)	Workshop/Meetings with HOD	Coordination
	4(c)	Preparation of GSDP for rural and urban areas of U.P.	State Income
	4(d)	Preparation of public and private components of GFCF	State Income
	4(e)	Construction of composite index for measuring the backwardness of districts of the State.	Data Bank
	4(f)	Poverty and Social Monitoring Survey	NSS-FSD & Analysis
	4(g)	Conduct of Employment and Un-Employment Survey	Price
5	5	<i>HRD issues-Capacity Building</i>	
	5(a)	Induction training	Coordination
	5(b)	Refresher training	Coordination
	5(c)	Specialised training	PIU
	5(d)	Training on data processing and use of statistical packages	SDT/EDP
	5(e)	Development of Training module	Coordination
	5(f)	Training on sample survey techniques	Coordination
	5(g)	Skill Development of Youths in survey activities	PIU
6	6	<i>Introduction to Innovative Techniques and Methodologies</i>	
	6(a)	Estimation of sub-state level estimates of socio economic indicators by using small area estimation technique .	NSS-Analysis
	6(b)	Collaborative Studies with UPSRAC	PIU

7	7	<i>User-Producer dialogues, stake-holders' consultations and Conduct of periodic surveys on user-satisfaction</i>	
	7(a)	Workshops with stake holders/data users	Coordination
	7(b)	Consultation and collaboration with Universities, etc. on development of new statistical tools and their usage in improving reliability of existing data products.	PIU
	7(c)	Annual User satisfaction survey	PIU
8	8	<i>Dissemination of Annual Reports on the performance of State Statistical Systems</i>	
	8(a)	Workshops/Seminars	Coordination
	8(b)	Publication of Statistical books	USHA
	8(c)	Publication of annual journal on Economics & Statistics analytical studies.	PIU
9	9	<i>Data Quality and Efficiency Improvement Measures</i>	
	9(a)	Type Studies	State Income/PIU
	9(b)	Compilation of an IOTT for the State economy	State Income/PIU
	9(c)	Benchmark survey of Horticultural Crops	State Income/PIU
	9(d)	Annual Survey of MSME	FSD
	9(e)	IIP Un-registered manufacturing sector	IIP
	9(f)	Database of basic statistics at revenue village level.	Data Bank
	9(g)	Database of basic statistics at Nagar Nigam / Nagarpalika /Nagar Panchyat level	Data Bank
	9(h)	Study on interstate trade statistics	PIU
	9(i)	Compilation of Estimates of savings at state level	PIU
	9(j)	Estimation of number of Unauthorised Slaughter Houses and number of Animals Slaughtered therein.	PIU
	9(k)	Crop Yield Estimation of Emerging crops in UP	PIU
	9(l)	Estimation of Passengers carried out by Private Transport Carriers.	PIU
	9(m)	Study to assess the intra-household variations in consumption, educational and economic attainments in different categories of households	PIU
	9(n)	Study on the plywood /khair industry to know the quantity of raw material consumed by it are sourced through U.P.forest.	PIU
	9(o)	Establishment of library in DES	Accounts/PIU
10	10	<i>Advocacy Issues viz. Publicity and IEC</i>	
	10(a)	Advocacy workshops	Coordination
	10(b)	Digitalisation of old statistical handbooks	Accounts/Data bank
	10(c)	Sensitization Seminars	PIU/Coordination
	10(d)	Advertisement	PIU/Accounts
	10(e)	Other activities	PIU/Accounts
	10(f)	Organization of Statistics Day	Coordination

11	11	Expenditure on other associated items/activities which are not foreseeable at the planning Stage Approx. 5% of Total Cost.	PIU
		Outsourcing of consultants & computer operators	Establishment/PIU/Accounts/

3. प्रस्तावित कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिये विभिन्न कार्यों हेतु consultants नियुक्त किये जाने हैं, जिसके लिये स्थापना अनुभाग शासन के अद्यतन नियमों को एकत्र करेगा तथा consultant नियुक्ति से सम्बन्धित अपेक्षित कार्यवाही PIU/स्थापना/लेखा अनुभाग के समन्वय से सम्पादित की जायेगी। इसी प्रकार योजनान्तर्गत outsourcing के माध्यम से प्रस्तावित कम्प्यूटर आपरेटर के लिये भी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. SSS योजना में प्रस्तावित अध्ययनों को सम्पादित करने के लिये प्रथमतः सूचना विभाग के माध्यम से 2 राष्ट्रीय स्तर के दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र तथा 2 प्रदेश स्तर के दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में Expression of Interest प्राप्त करने हेतु प्रकाशन किया जाए। तदोपरान्त अन्य गतिविधियाँ सम्बन्धित अनुभागों के द्वारा सम्पन्न की जाएंगी।
5. SSS योजना के अन्तर्गत Induction Training, Refresher Training तथा Skill Development सम्बन्धी प्रशिक्षण का प्राविधान है। Induction Training गत वर्ष में निर्धारित प्रक्रियानुसार गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से तदनु रूप ही कराए जाने का निर्णय लिया गया तथा Refresher Training हेतु भी आवश्यक विषय वस्तु के निर्धारण उपरान्त गिरी विकास अध्ययन संस्थान के माध्यम से ही कराए जाने को प्राथमिकता दिये जाने पर सहमति बनी। Skill Development सम्बन्धी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में प्रथमतः गिरी विकास अध्ययन संस्थान से प्रस्ताव प्राप्त कर शासन की औपचारिक अनुमति के उपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी परन्तु इस प्रशिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के देय मानदेय एवं यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिया गया :-
  - (i) प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिवस अधिकतम रु0 500/- की दर से प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य किया जाए।
  - (ii) यात्रा भत्ता सम्बन्धी प्रशिक्षण में प्रदेश के समस्त जनपदों से प्रशिक्षणार्थियों के भाग लिये जाने के कारण यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी के जनपद मुख्यालय से लखनऊ तक के बस भाड़े के अनुसार आने जाने के किराए के अतिरिक्त रु0 100/- इन्सिडेंटल के रूप में भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
  - (iii) प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान की सुगमता के लिये उक्त दोनों भुगतान प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपरान्त कराए जाने का भी निर्णय लिया गया।
  - (iv) उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों के चयन/निर्धारण के लिये यथा आवश्यक निर्देश भेजे जाय, जिससे तदनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के अवशेष माहों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराने की कार्यवाही सम्भव हो सके।
6. मण्डल स्तर पर उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या) के कार्यालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में प्रथम वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में बस्ती, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ तथा विन्ध्यांचल मण्डलों को भूमि उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी तथा आगामी वर्ष में शेष मण्डलों के प्रस्ताव स्वीकार किये जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये निर्धारित किसी मण्डल में भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रस्ताव में परिवर्तन भी संभव है। भवन निर्माण की प्रक्रिया के तहत मण्डल स्तर पर ही मण्डलायुक्त की सहमति से कार्यदायी संस्था यथा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम/उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम/ उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0/जल निगम (C & DS इकाई) में से किसी का चयन कर मण्डल स्तर पर

ही मैप तथा आगणन तैयार कराया जाए और इसकी प्रशासकीय स्वीकृति हेतु मण्डल स्तर से ही अलग-अलग प्रस्ताव प्रभाग मुख्यालय को संदर्भित किये जाए। इन प्रस्तावों पर शासन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।


अन्त में बैठक धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई

(गिरजा शंकर कटियार)  
निदेशक,  
अर्थ एवं संख्या।

पत्रांक:- 447 / एस0एस0एस0-2 / 2015 दिनांक: लखनऊ: नवम्बर 20, 2015

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त अधिकारी, प्रभाग मुख्यालय।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वैयक्तिक सहायक(निदेशक), प्रभाग मुख्यालय को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।

  
(अरविन्द कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त निदेशक।

निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उ०प्र०, लखनऊ की अध्यक्षता में PMG की  
बैठक दिनांक 19-11-2015 की उपस्थिति

सर्वश्री :-

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. गिरजा शंकर कटियार          | निदेशक, अर्थ एवं संख्या |
| 2. डा० एस०एन० त्रिपाठी        | अपर निदेशक              |
| 3. रामावतार                   | अपर निदेशक (प्रशासन)    |
| 4. ए० के० पाण्डेय             | संयुक्त निदेशक          |
| 5. यू० आर भावे                | संयुक्त निदेशक          |
| 6. संजय कुमार श्रीवास्तव      | उप निदेशक               |
| 7. डा० दिव्या सरीन मेहरोत्रा  | उप निदेशक               |
| 8. डा० शुऐब अहमद              | उप निदेशक               |
| 9. श्रीमती डुमनेश दीक्षा साहू | अर्थ एवं संख्याधिकारी   |